20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग –1232– II/16

श्री विनोद भार्गव एड० द्वारा आज दि. 20-4-16 को प्रस्तुत

20-4-16 ... ऑफ कोर्ट ... मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. वुद्धसेन पिता परमेश्वदीन पटेल,
2. लव पटेल तनय वुद्धसेन पटेल
3. कुश पटेल तन वुद्ध सेन पटेल,

   समस्त निवासीगण दुवगवा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.
4. अशीष कुमार गुप्ता पिता शिवकान्त गुप्ता, निवासी साकिन कुन्दनपुरवा, तहसील मऊगंज जिला रीवा म.प्र.
5. विवके पटेल तनय रामस्वरूप पटेल, ग्राम गंज , 255 पटवारी हल्का गंज 39 तहसील मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.
6. अर्जुन तनय रामस्वरूप पटेल
7. अजय तनय रामस्वरूप पटेल

   दोनो निवासीगण मुकाम गंज, 255 पटवारी हल्का गंज, मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.

--------आवेदकगण

विरूद्ध

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 20-4-2016

1. राधारामण पटेल तनय रामे पटेल, उम्र 65 वर्ष,
2. मनुवेन्द्र पटेल तनय स्व. राम पटेल उम्र 62 वर्ष,
3. श्री सुखवेन्द्र पिता स्व. रामे पटेल उम्र 50 वर्ष, समस्त निवासीगण दुवगवां थाना मऊगंज, जिला रीवा म.प्र.
4. श्रीमती एकसिया देवी पत्नी इन्द्रजीत पटेल, उम्र 67 वर्ष, निवारी मोहल्ला बरा इण्डियन्स गोदाम इलाहाबाद रोड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र.
5. श्रीमती मेवा पटेल पत्नी राजनान पटेल पुत्री स्व. रामे पटेल उम्र 63 वर्ष, निवासी ग्राम पो. दोदरिहन तहसील नईगढ़ी जिला रीवा
6. श्रीमती कमला पटेल पत्नी वुद्धसेन पटेल पुत्री स्व. रामे पटेल उम्र 56 वर्ष, निवार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1232–दो/2016 जिला रीवा

वुद्धसेन आदि विरूद्ध राधारमण पटेल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा एवं अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 7–4–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय की पंजी कमांक 86 आदेश दिनांक 24–11–84 के द्वारा आवेदक कमांक 1 के पक्ष में हुये नामांतरण के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने 32 वर्ष विलम्ब को क्षमा करते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 7–4–16 के द्वारा अपील को समयावधि में मान्य किया। आवेदकगण द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदकगण कमांक 1 से 3 एवं अनावेदकगण का संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब था। विवादित भूमि सर्वे कमांक 634/1 रकबा 0.150 हे0 स्थित ग्राम गंज संयुक्त कुटुम्ब की संपत्ति थी जिसका संयुक्त कुटुम्ब सदस्यों के मध्य आपसी घरू विभाजन अनुसार यह भूमि आवेदक कमांक 1 के हिस्से में आयी थीं तदनुसार पंजी कमांक 86 दिनांक 13–9–84 पर आदेश दिनांक 24–11–84 द्वारा आवेदक कमांक 1 के नाम नामांतरण किया गया। इस पंजी पर	

अनावेदकगण कमांक 1 से 7 के पिता स्व0 श्री रामे के सहमति स्वरूप निशानी अंगूठा अंकित हैं। यह भी तर्क दिया कि स्व0 श्री रामे द्वारा अपने जीवन काल में स्वयं अथवा उनके पुत्रों द्वारा इस नामांतरण की कोई आपत्ति नहीं की और न ही अपील प्रस्तुत की गई। अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा अपने पिता के स्वर्गवास के उपरांत नामांतरण आदेश दिनांक 24–11–84 के विरूद्ध लगभग 32 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि अनावेदकगण को प्रारंभ से ही उक्त नामांतरण की जानकारी थी। अनुविभागीय अधिकारी ने 32 वर्ष के विलम्ब को माफ करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम दुवगवां स्थित अन्य भूमियों के साथ–साथ प्रश्नाधीन भूमि को अपने पुत्रों के मध्य दिनांक 31–10–2002 को रजिस्ट्रीकृत विभाजन संपादित किया जिस पर गवाह के रूप में अनावेदक कमांक 1 से 3 के पिता स्व0 श्री रामे का निशानी अंगूठा अंकित है। इस विभाजन अनुसार आवेदकगण के नाम नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो गया है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदकगण के पिता की सहमति से हुये नामांतरण को उसकी मृत्यु के पश्चात 32 वर्ष अपील प्रस्तुत करते समय म्याद अधिनियम की धारा 5 में ऐसा कोई आधार नहीं बताया है कि 32 वर्ष के विलम्ब को क्यों माफ किया जाये। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 7–4–16 निरस्त किया जाये।

5/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण के पिता स्व0 रामे थे। आवेदकगण द्वारा कपटपूर्वक अपने नाम

पंजी पर नामांतरण करा लिया। जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने यह माना कि प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होना चाहिए इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को अंदर म्याद के माना है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 86 दिनांक 13–9–84 पर आदेश दिनांक 24–11–84 द्वारा आवेदक कमांक 1 के पक्ष में हुये नामांतरण को लगभग 32 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई है। आवेदक कमांक 1 एवं अनावेदकगण के पिता रामे पटेल सगे भाई थे। स्व0 रामे की सहमति से ही पंजी कमांक 84 में आवेदक कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत हुआ था। स्व0 रामे के जीवत रहते न तो रामे और न ही अनावेदकगण द्वारा कोई आपत्ति की और न ही उक्त नामांतरण आदेश को चुनौती दी गई। स्व0 रामे के स्वर्गवास के पश्चात अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लगभग 32 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की है। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिाकरी के समक्ष प्रस्तुत म्याद की धारा 5 के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें विलम्ब का यह आधार लिया है कि अपने पिता

राधे कुर्मी द्वारा क्रय की गई विवादित भूमियों के संबंध में विक्रय विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि पाने हेतु आवेदन पत्र उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त की तथा खसरों की नकल निकलवाने पर पाया कि आवेदक क्रमांक 1 का प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण हो गया है तत्पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है।

अनावेदक का म्याद के बिन्दु पर यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि खसरों की नकल प्राप्त होने पर नामांतरण आदेश की जानकारी हुई। चूंकि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 सगे चाचा-भतीजे होकर एक कुटुम्ब के हैं अतः 32 वर्षों तक नामांतरण आदेश की जानकारी न होना एवं पिता की मृत्यु के पश्चात अपील प्रस्तुत करना विश्वनीय तर्क न होकर बाद की सोच है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त कारणों के आधार पर अपील को म्याद के भीतर मानने में त्रुटि की है। विलम्ब के संबंध में 2000 रा नि 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है-

''परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 विलंब की माफी-ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो। 199 एमपीजेआर 78 प्रभेदित।''

2015 रा नि 4 हरीसिंह तथा अन्य विरूद्ध कैलाश तथा एक अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है- '' परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5- विलंब कब माफ नहीं किया जा सकता'?- 460 दिवस का विलंब- देखने में विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया- प्रस्तुत किया

स्पष्टीकरण गढ़ा हुआ प्रतीत होना – अपील प्रस्तुत करने में पूर्णतया उपेक्षा– समाधान कारण स्पष्टीकरण के अभाव में– ऐसा अनुचित विलंब माफ़ नहीं किया जा सकता– विलब माफी के लिए आवेदन तथा अपील खारिज की गई।''

इसी प्रकार 2015 रा नि 10 म0प्र0 राज्य विरूद्ध अरविंदर सिंह में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– '' परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– विलंब कब माफ नहीं किया जा सकता– 836 दिवस का विलंब– देखने में विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया– प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण गढ़ा हुआ प्रतीत होना – अपील प्रस्तुत करने में पूर्णतया उपेक्षा– समाधान कारण स्पष्टीकरण के अभाव में– ऐसा अनुचित विलंब माफ नहीं किया जा सकता– विलब माफी के लिए आवेदन तथा अपील खारिज की गई। एआईआर 2012 एस सी 1506 अनुसरित, 2014(1) सुप्रीम कोर्ट 16 निर्दिष्ट।''

इसी प्रकार 2015 रा नि 50 म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य विरूद्ध महिला रामकली में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– '' परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– विलंब कब माफ करना– अपील दाखिल करने में 1978 दिवस का विलंब– विलंब केवल प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने तथा विधिक राय प्राप्त करने में हुआ– पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया– अपीलार्थी की ओर से पूर्ण उपेछा–आवेदक के अपील खारिज।''

2015 रा नि 161 म0प्र0 राज्य विरूद्ध मन्नूलाल में मान0

प्रकरण कमांक निगरानी 1232-दो/2016 जिला रीवा

बुद्धसेन आदि विरूद्ध राधारमण पटेल आदि

उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है- " परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5- विलंब कब माफ नहीं किया जा सकता- विलंब का कारण-यह दर्शाया गया कि अपील की अनुज्ञा चाहने में समय व्यतीत-मामला तीन वर्ष से अधिक लंबित रहा- यह पूर्णतया लापरवाही है- विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं- विलंब माफ किया जाना अपेक्षित नहीं-विलंब माफी के लिए आवेदन खरिज किया गया और अपील खारिज की गई।"

अनुविभागीय अधिकारी को 32 वर्ष के विलम्ब के असाधारण विलम्ब को बिना ठोस समाधानकारक कारणों के माफ नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 32 वर्षों के असाधारण विलंब को माफ करने में अवैधानिकता तथा अनियमितता कर आवेदकों के हितों को प्रभावित करने वाला आदेश पारित किया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-4-16 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण कमांक 92/ए-27/2014-15 भी परिसीमा काल के बाहर होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य